## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 138/2025 दायर दिनांक: 05.08.2025

उनवान

1. विक्रमसिह पिता नारायणसिंह जाति सोधिया नि. ओसाव तहसील सुनेल
2. बालूसिंह पिता नारायणसिंह जाति सोधिया नि. ओसाव तहसील सुनेल
3. सीमाबाई पुत्री नारायणसिंह जाति सोधिया नि. ओसाव तहसील सुनेल
4. धापूबाई बेता नारायणसिंह जाति सोधिया नि. ओसाव तहसील सुनेल

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल
2. तोफानसिंह पिता किशनलाल जाति सोधिया नि. ओसाव तहसील सुनेल
3. बनेसिंह पिता किशनलाल जाति सोधिया नि. ओसाव तहसील सुनेल
4. प्रेमसिंह पिता गुमानसिंह जाति सोधिया नि. ओसाव तहसील सुनेल
5. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुनेल तहसील सुनेल
6. मेनेजर एच०डी०एफ०सी०बैंक लिमिटेड जिला झालावाड

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट**

**उपस्थिति अभिभाषकगण :–**

अभिभाषक प्रार्थीगण :– श्री हुकुमचन्द कुमावत

अप्राथी सं. 1:– पैरोकार सरकार

अभिभाषक प्रार्थी सं. 3 व 4 :– श्री विनोद शर्मा

अप्रार्थी सं. 2, 5, 6 – एकतरफा

**आदेश** दिनांक : 30.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज आराजी का विवरण इस प्रकार है– (अ) ग्राम धर्मच्याखेड़ी पटवार हल्का ओसाव तहसील पिड़ावा में स्थित [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के अनुसार खाता संख्या [illegible] 35, [illegible] पुराना 31 जिसका विवरण इस प्रकार है– ख.न. 08 क्षेत्रफल 11–14 बीघा, ख.न. 10 क्षेत्रफल 19–06 बीघा, ख.न. 99/7 क्षेत्रफल 3–10 बीघा कुल खसरा किता 03 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रफल 34 बीघा 10 बिस्वा आराजी प्रार्थीगण के पिता, पति नारायणसिंह पिता नरवरसिंह, जसवन्तसिंह पिता नरवरसिंह का 4/5 हिस्सा तथा प्रार्थीगण की दादी, सास भुवानीबाई बेवा नरवरसिंह हिस्सा 1/5 कोम सोध्या राजपूत की खातेदारी में दर्ज रही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में विवादित खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 11 बीघा 14 बिस्वा (1.4796 हैक्टेयर) को विवादित आराजी से सम्बोधित किया है। (ब) ग्राम धर्मच्याखेड़ी पटवार हल्का ओसाव तहसील पिड़ावा में स्थित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार खाता संख्या नया 32 खाता संख्या पुराना 35 में दर्ज खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 11 बीघा 14 बिस्वा आराजी के खातेदार प्रार्थीगण के पिता, पति नारायण सिंह का 2/5 हिस्सा दर्ज खाता रहा है। प्रार्थीगण के पिता, पति की मृत्यु के पश्चात् विरासत नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 20.06.2015 को मृतक नारायणसिंह के स्थान पर विक्रमसिंह, बालूसिंह पुत्री सोनाबाई व बेवा धापूबाई का विरासत नामान्तरकरण दर्ज हुआ। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 01 के उपचरण अ. ब में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के काका, देवर जसवन्तसिंह पिता नरवरसिंह ने अपने हिस्सो की आराजी खसरा संख्या 08 में से अपना हिस्सा 02 बीघा 06 बिस्वा आराजी केंता अप्रार्थी नं 02, 03, 04 को बेचान की हैं। यह कि विवादग्रस्त खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 11 बीघा 14 बिस्वा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा लोक अदालत के द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के काका, देवर तथा अप्रार्थीगण के नध्य बंटवारा प्रार्थना पत्र के अनुसार खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 11 बीघा 14 बिस्वा में से प्रार्थीगण को 05 बीघा 17 बिस्वा पूर्व दिशा वाली आराजी प्रार्थीगण को प्राप्त हुई हैं। प्रार्थीगण के काका, देवर जसवन्तसिंह के बंटवारा के अनुसार खसरा संख्या 08 का नया खसरा संख्या 120/8 क्षेत्रफल 03 बीघा 11 बिस्वा उत्तर, पश्चिमी वाली आराजी दी है तथा केता अप्रार्थीगण को खसरा संख्या 08 का नया ख[illegible] 02 बीघा 06 बिस्वा दक्षिणी, पश्चिमी आराजी [illegible] यह कि विवादग्रस्त आराजी का आपसी बंट[illegible] 234 दर्ज हुआ हैं। जिसमे प्रार्थीगण का खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 05 बीघा 17 बिस्वा पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दिशा वाली आराजी खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 1.4796 हैक्टेयर आराजी बंटवारा में प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार जसवन्तसिंह का नया संख्या 120/8 में 03 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज है तथा अप्रार्थीगण का नया खसरा संख्या 121/8 में 02 बीघा 06 बिस्वा दर्ज हुई हैं। यह कि आपसी आराजी का बंटवारा होने के पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार खाता संख्या नया 25, खाता संख्या पुराना 32 में दर्ज खसरा संख्या 121/8 क्षेत्रफल 0.5817 हैक्टेयर, खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 1.4796 हैक्टेयर कुल खसरा किता 02 कुल क्षेत्रफल 2.0613 हैक्टेयर आराजी दर्ज खाता हैं। उक्त वर्णित जमाबन्दी राजस्व कर्मचारियो द्वारा तैयार करते समय भूलवश राजस्व रिकॉड़ जमाबन्दी में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 1.4796 को दर्ज कर दिया गया है जबकि अप्रार्थीगण की खातेदारी में मात्र खसरा संख्या 121/8 दक्षेत्रफल 0. 5817 हैक्टेयर ही दर्ज होना था। इस दर्ज प्रविष्ठी को सुधारने के लिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया हैं। यह संशोधन दोनो पक्षो के लिए अतिआवश्यक है। संशोधन ना होने से प्रार्थीगण को भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि विवादग्रस्त खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 1.4796 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का कब्जा अपने पिता, पति के जीवनकाल से तथा उनकी मृत्यु के बाद से आज तक निरन्तर, अखण्ड़ित कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थीगण ने कभी भी आराजी के बाबत् लड़ाई–झगड़ा उत्पन्न नहीं किया। प्रार्थीगण शान्ति पूर्वक काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण को प्राप्त खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 1.4796 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भूलवश दर्ज हो गया हैं। इसी दर्ज प्रविष्ठि को दुरस्ति करवाने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। यह कि प्रतिवादी नं. 01 राजस्थान सरकार के भूमि खाता धारक होने से माननीय न्यायालय के आदेश की पालना को सुनिश्चित किये ज[illegible]ल को तथा प्रतिवादी नं. 05, 06 के यहां आराजी रहन होने से [illegible] बनाया हैं। यह कि वादकारण लगभग 01 माह पूर्व उत्पन्न हुआ [illegible] राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तब जानकारी में आया की विव[illegible] खसरा संख्या 08

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण के पिता, पति के बाद आपसी बंटवारा में प्राप्त हुई है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भूलवश खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 1.4796 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज हो गई। जिसे दुरस्त कराने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार सुनेल को आवेदन पेश किया उनके द्वारा संशोधन करने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी गई। यही वाद कारण निरन्तर बना होने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ग्राम धर्मव्याखेड़ी पटवार हल्का ओसाव तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज० में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते है कि–

(अ) बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश जारी कर, तहसीलदार सुनेल को आदेश जारी किया जावें कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 05 में वर्णित आराजी खाता संख्या नया 25, खाता संख्या पुराना 32 में दर्ज खसरा संख्या 08 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा (क्षेत्रफल 1.4796 हैक्टेयर) आराजी को अप्रार्थीगण की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में से कम कर प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। इस संशोधन का आदेश जारी किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित राहत जो भी उचित एवं आवश्यक हो प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय से प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1/पैरोकार सरकार द्वारा पत्र क. 1172 दिनांक 17.09.2025 से जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण के संबंध में भू अभि. निरी. हेमडा एव पटवारी हल्का जवाब दावा निम्नानुसार है ओसाव द्वारा प्रस्तुत रिपार के अनुसार बिन्दुवार [illegible] जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड रहे है। मुताबिक जमाबंदी [illegible] 196 से जसवंतसिंह पि. नरवरसिंह ने अपने [illegible] से अपना हिस्सा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि तोफानसिंह बनेसिंह पि. [illegible]शनलाल प्रेमसिंह पि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

गुमानसिंह को बेचान कर दी गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर पिडावा लोक अदालत के द्वारा आपसी सहमति बंटवारे से (1) विक्रमसिंह बालूसिंह, सीताबाई पि. नारायण सिंह धापूबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौया नि. ओसाव का ख.न. 8 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा पूर्व दिशा (2) जसवन्तसिंह पि नरवरसिंह जाति सौध्या नि. ओसाव खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुनेल को ख.नं. 8. रकबा 3 बीघा 11 बिश्वा उत्तर–पश्चिम दिशा (3) तोफानसिह, बनेसिंह पि. किशनलाल व प्रेमसिंह पि. गुमानसिंह हि.ब. जाति सोध्या खातेटार रहन तोफानसिंह का हिस्सा एचडीएफसी बैंक शाखा झालावाड को ख.न. 8 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा दक्षिण पश्चिम दिशा की प्राप्त हुई। उक्त सहमति बंटवारे का नामा. सं. 234 दिनाक 06.11.2015 को दर्ज हुआ। जिससे प्रार्थीगण विक्रमसिंह, बालूसिंह सोनाबाई पि नारायणसिंह, धापूवाई बेवा, नारायणसिंह जाति सौंध्या नि. ओसाव को नया खनं. 8 रकवा 5 बीघा 17 बिस्वा पूर्व दिशा जसवन्तसिह पिः नरवरसिंह जसति सौंध्या नि ओसाव को नया ख.नं. 120/8 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा उत्तरी–पश्चिमी दिशा तोफानसिंह, बनेसिंह पि. किशनलाल व प्रेमसिंह पि गुमानसिंह हि.ब. जाति सोध्या नि. फिरोजपुरा के नया खनं 121/8 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा दक्षिण–पश्चिम दर्ज हुई। सेग्रीगेशन जमाबंदी 2075–78 बनाते समय नामा.सं. 234 का अमल करते समय ख.नं 8 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा यानि 1.4796 हैकटर भूमि प्रार्थीगण विक्रमसिंह, बालूसिंह, सोनाबाई पि. नारायणसिंह, धापूबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंध्या नि ओसाव के दर्ज होनी थी परन्तु सहवन से अप्रार्थी तोफानसिंह, बनेसिंह पि. किशनलाल प्रेमसिह पि. गुमानसिंह हि.ब. जाति सौध्या नि फरोजपुरा के दर्ज हो गई। अप्रार्थीगण तोफानसिंह, बनेसिंह पि. किशनलाल, प्रेमसिंह पि. गुमानसिंह हि. ब. जाति सौंध्या सिर्फ ख.न. 121/8 रकबा 0.5817 हे. दर्ज होना था। इस प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता से 25 में प्रार्थीगण तोफानसिंह, बनेसिंह पि. किशनलाल व प्रेमसिंह पि. गुमानसिंह हि.ब. [illegible] के ख.न. 121/8 रकबा 0.5817 हैक्टर, ख.न. 8 रकबा [illegible] 2 [illegible] 2.0615 हैक्टर भूमि दर्ज हो रही है। बिन्दु सं. 6 [illegible] न्यायालय से संबंधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा दिनांक 23.12.2025 को आदेशिका पर अंकन कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुतोष को स्वीकार किया। अप्रार्थी सं. 2, 5, 6 के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 11.11.2025 व दिनांक 23.12.2025 अप्रार्थी सं. 2, 5, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम धर्मच्यांखेडी के खाता सं. 35 किता 3 की जमाबंदी सं. 2067–70, खाता सं. 31 की जमाबंदी सं. 2063–66, खाता सं. 32 की जमाबंदी सं. 2071–74, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिडावा का डिकी आदेश दिनांक 29.06.2015, आपसी सहमति बंटवारा प्रार्थना पत्र, तहसीलदार पिडावा का आदेश दिनांक 29.06.2015 मय रिपोर्ट पटवार हल्का, नामा.सं. 234 दिनांक 22.01.2016, खाता सं. 25 की जमाबंदी सं. 2075–78, खसरा नक्शा दिनांक 30.07.2025 की प्रमाणित प्रतियां, विक्रमसिंह, बालूसिंह, सोनाबाई, धापूबाई के आधारकार्ड की छायाप्रति पेश की।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम धर्मच्यांखेडी हल्का ओसाव की जमाबंदी सं. 2067–70 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खाता सं. 35 किता 3 कुल रकबा 34–10 बीघा नारायणसिंह, जसवंतसिंह पिस. नरवरसिंह हिस्सा 4/5 व भवानीबाई बेवा नरवरसिंह हि. 1/5 दर्ज रिकार्ड था। अतः स्पष्ट है कि नारायणसिंह का हिस्सा 2/5 दर्ज रिकार्ड था। नामा.सं. 196 दिनांक 10.09.2011 के अवलोकन से जाहिर है कि सहखातेदार जसवंतसिंह पि. नरवरसिंह ने ख.नं. 8 रकबा 11–14 बीघा में से अपने हिस्से 2/5 का 1/2 यानि 1/5 का बेचान अप्रार्थी सं. 2 से 4 को कर दिया [illegible] गई भूमि का रकबा लगभग 2–07 बीघा होता है। नामा.सं. 225 दिनांक [illegible] 2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार नारायणसिंह हि. 2/5 के फौत होने पर प्रार्थीगण के पक्ष में फोती नामा. दर्ज होकर प्रार्थीगण खातेदार कृषक दर्ज हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खाता सं. 35 किता 3 कुल रकबा 34–10 बीघा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा राजस्व लोक अदालत में सभी सहखातेदारो के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हुआ था जिसमें ख.नं. 8 रकबा 11–14 बीघा में से पूर्व दिशा की 5–17 बीघा भूमि प्रार्थीगण को जबकि उत्तर पश्चिम की 3–11 बीघा जसवंतसिंह को तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की 2–06 बीघा केता अप्रार्थी सं. 2 से 4 को प्राप्त हुई थी। प्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश कमांक 1384 दिनाक 29.06.2015, आपसी सहमति बंटवारा प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 29.06.2015 एवं आदेश तहसीलदार पिडावा दिनांक 29.06.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता सं. 35 ख.नं. 8, 10, 99/7 किता 3 कुल रकबा 34–10 बीघा का सहमति से बंटवारा हुआ था जिसमें कुल 15–10 बीघा भूमि प्रार्थीगण को, 13–04 बीघा भूमि जसवंतसिंह को, 2–06 बीघा भूमि केता अप्रार्थी सं. 2 से 4 को व 2–00 भूमि भवानीबाई को दी गई थी। इस सहमति बंटवारे पर केतागण और धापूबाई बेवा नारायणसिंह के भी हस्ताक्षर नहीं है। उक्त बंटवारा आदेश व डिक्री में ख.नं. 8 रकबा 11–14 बीघा में से पूर्व दिशा की 5–17 बीघा भूमि प्रार्थीगण को जबकि उत्तर पश्चिम की 3–11 बीघा जसवंतसिंह को तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की 2–06 बीघा केता अप्रार्थी सं. 2 से 4 को प्राप्त हुई थी।

7. प्रार्थीगण द्वारा पेश सहमति बंटवारा नामा.सं. 234 दिनांक 22.01.2016 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण को मूल ख.नं. 8 रकबा 5–17 बीघा पूर्व दिशा, जसवंतसिंह को ख.नं. 120/8 रकबा 3–11 बीघा उत्तरी पश्चिम व केता अप्रार्थी सं. 2 से 4 को ख.नं. 121/8 रकबा 2–06 बीघा का नामा. तहसीलदार पिडावा द्वारा निर्णित किया गया। उक्त नामा. सं. 234 का जमाबंदी सं. 2071–74 में अमल दरामद किया गया था। जमाबंदी सं. 2071–74 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल ख.नं. 8 रकबा 11–14 बीघा में से पूर्व दिशा की 5–17 बीघा भूमि प्रार्थीगण को तथा उत्तरि पश्चिम दिशा की 3–11 बीघा जसवंतसिंह को तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की 2–06 बीघा केता अप्रार्थी सं. 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

से 4 के खाते दर्ज की गई थी लेकिन हाल जमाबंदी सं. 2075–78 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण का ख.नं. 8 रकबा 5–17 बीघा यानि 1.4796 है. भूमि केता अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के खाते दर्ज है जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज होनी चाहिए थी। अप्रार्थी सं. 1 पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब दिनांक 17.09.2025 में स्वीकार किया है कि सेग्रीगेशन जमाबंदी 2075–78 बनाते समय नामा.सं. 234 का अमल करते समय ख.नं 8 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा यानि 1.4796 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण विक्रमसिंह, बालूसिंह, सोनाबाई पि. नारायणसिंह, धापूबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंध्या नि ओराव के दर्ज होनी थी परन्तु सहवन से अप्रार्थी तोफानसिंह, बनेसिंह पि. किशनलाल प्रेमसिह पि. गुमानसिंह हि.ब. जाति सौध्या नि फरोजपुरा के दर्ज हो गई। अप्रार्थीगण तोफानसिंह, बनेसिंह पि. किशनलाल, प्रेमसिंह पि. गुमानसिंह हि. ब. जाति सौंध्या सिर्फ ख.न. 121/8 रकबा 0.5817 हे. दर्ज होना था। इस प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता से 25 में प्रार्थीगण तोफानसिंह, बनेसिंह पि. किशनलाल व प्रेमसिंह पि. गुमानसिह हि.ब. जाति सोध्या के ख.न. 121/8 रकबा 0.5817 हैक्टर, ख.न. 8 रकबा 1.4796 हेक्टर किता 2 रकबा 2.0615 हैक्टर भूमि दर्ज हो रही है जो लिपिकीय त्रुटी होने से दुरूस्ती योग्य है। पैरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान भी सेग्रिगेशन के समय प्रार्थीगण की आराजी को भूलवश अप्रार्थी सं. 2 से 4 खाते दर्ज हो जाना स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित बताया है।

8. राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के गलत तरीके से जमाबंदी की प्रविष्टियो में त्रुटी करते हुए प्रार्थीगण के आराजी को अप्रार्थी सं. 2 से 4 की जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया है जबकि राजस्व कार्मिको को राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टियों में बिना सक्षम आदेश के परिवर्तन करने का कोई हक या अधिकार नहीं है। पैरोकार सरकार का कथन है कि उक्त त्रुटी सहवन से हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः उक्त त्रुटी सहवन से हुई एक लिपिकीय त्रुटी है जिसे धारा 136 एलआरएक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा। यहां धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानो का अवलोकन सुविधा के लिए निम्नानुसार है–

**136. Correction of errors** – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम धर्मच्याखेडी तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 8 रकबा 5–17 बीघा (क्षेत्रफल 1.4796 है.) के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

10. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम धर्मच्याखेडी तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 8 रकबा 5–17 बीघा (क्षेत्रफल 1.4796 है.) की राजस्व प्रविष्टियो को दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 से 4 की जमाबंदी से डिलीट कर अप्रार्थीगण के खाते की आराजी में जोडा/दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

30/03/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner